रजि. सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 6, 1993/अग्रहायण 15, 1915
No. 425] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 6, 1993/AGRAHAYANA 15, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1993

सं. 184/93-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 732(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 219/89-सीमाशुल्क, तारीख 1 अगस्त, 1989 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए" शब्दों से आरम्भ होने वाले और "विदेशी क्रेता द्वारा प्रभार मुक्त किया गया है" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि टैगों, लेबलों, मुद्रित थैलों और स्टिकरों का मूल्य प्रत्येक मामले में दस हजार रुपये से अधिक न हो।"

[फा.सं. 332/83/93-टी.आर.यू.]

सुशील सोलंकी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1993

NO. 184/93-CUSTOMS

G.S.R. 732(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 219/89-Customs, dated the 1st August, 1989, namely :—

In the said notification, for the portion beginning with the words "subject to the condition" and ending with the words "by the foreign buyer", the following shall be substituted, namely :—

"subject to the condition that the value of tags, labels, printed bags and stickers do not exceed rupees ten thousand in each case.".

[F. No. 332/83/93-TRU]

SUSHIL SOLANKI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1993

सं. 185/93-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 733 (अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक सं. 9801 की उप मद (6) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 110/86-सीमाशुल्क तारीख 17 फरवरी, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (24) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

"(25) पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड की पारेषण परियोजनाएं (26) दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम की 220 के.वी. एक्स. एल.पी.ई. केबल्स और उससे सहयुक्त गैस विद्युत्रोधी स्विचगियर परियोजना।"

[फा.सं. 348/22/93-टी.आर.यू.]

सुशील सोलंकी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1993

NO. 185/93-CUSTOMS

G.S.R. 733(E).—In exercise of the powers conferred by sub-item (6) of heading No. 98.01 of the First Schedule in the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, having regard to the economic development of the country, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 110/86-Customs, dated the 17th February, 1986, namely :—

In the said notification, after serial number (24) and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added, namely :—

"(25) Transmission Projects of the Power Grid Corporation Limited.
(26) 220 KV XLPE Cables and associated Gas Insulated Switchgear Project of the Delhi Electric Supply Undertaking.".

[F. No. 348/22/93-TRU]

SUSHIL SOLANKI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993